



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—३, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 2024

श्रावण 30, 1946 शक समवत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1714/वि०स०/संसदीय/५३(सं)-२०२४

लखनऊ, 30 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 30 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पुरस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

- 1—(1) यह अधिनियम कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।
- 2—कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) में,
धारा 54 में,—
(एक) विद्यमान धारा, उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित की जाएगी;
(दो) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी
जायेगी, अर्थात्—

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

अधिनियम
संख्या 63 सन्
1948 की
धारा 54 का
संशोधन

धारा 55 का
संशोधन

“(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के सम्बन्ध में, इस धारा में विनिर्दिष्ट दैनिक कार्य के अधिकतम घंटों को धारा 51 में यथा विनिर्दिष्ट किसी सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घण्टों के अध्यधीन, किसी भी दिन विश्राम के अंतराल सहित बारह घंटे तक ऐसे कार्य हेतु ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अध्यधीन ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे बढ़ा सकती है, और कर्मकार के लिए उक्त सप्ताह के शेष दिन सवेतन अवकाश होगा।”

धारा 56 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में धारा 54 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य समय में परिवर्तनीय उपबंध के कारण, ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे, किसी कर्मकार के कार्य के घंटों की कुल संख्या को, बिना किसी अंतराल के, छह घंटे तक बढ़ा सकती है।”

धारा 59 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 56 में,—

(क) विद्यमान उपबंध, उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में धारा 54 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य के घंटों में परिवर्तनीय उपबंध के कारण, ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे, विश्राम के लिए उसके अंतराल को सम्मिलित करते हुए 12 घंटे तक बढ़ा सकती है।”

धारा 65 का
संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 59 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) जहां कोई कर्मकार किसी कारखाना में—

(क) किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक, किसी भी सप्ताह में छह दिन कार्य करता हो;

(ख) किसी भी दिन दस घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक, किसी भी सप्ताह में पांच दिन कार्य करता हो;

(ग) किसी भी दिन साढ़े ग्यारह घंटे से अधिक, किसी सप्ताह में चार दिन या सवैतनिक अवकाश में, कार्य करता हो,

वहां वह अतिकाल कार्य के सम्बन्ध में अपनी मजदूरी की साधारण दर से दोगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा।

6—मूल अधिनियम की धारा 65 में उपधारा (3) में—

(क) खंड (चार) में, शब्द ‘पचहत्तर घंटे’ के स्थान पर शब्द ‘एक सौ चवालीस घंटे’ रख दिये जाएंगे;

(ख) खंड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

“(पांच) किसी कर्मकार को अतिकाल कार्य करना, ऐसे कार्य हेतु ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अध्यधीन अपेक्षित होगा।”

उद्देश्य और कारण

कारखानों में नियोजित कर्मकारों की कार्य-दशा, सुरक्षा, संरक्षा तथा कल्याण को विनियमित करने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) अधिनियमित किया गया है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 दिलियन डॉलर की उपलब्धि प्राप्त करने, औद्योगिक विनिधान और उद्योगों को प्रोत्साहन देने, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और अधिक आर्थिक क्रियाकलापों और नियोजन के अवसर सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है जो,—

(एक) राज्य सरकार को कार्य के घण्टों की संख्या को, किसी सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे के अध्यधीन, विद्यमान नौ घण्टों से बढ़ाकर किसी भी दिन विश्राम के अंतराल सहित बारह घंटे तक करने की अनुमति देता है;

(दो) राज्य सरकार को कार्य के घण्टों में परिवर्तनीय उपबंधों के कारण कार्य के दैनिक अधिकतम घण्टों में वृद्धि की सुविधा के लिए कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार हेतु बिना किसी अंतराल के कर्मकार के कार्य के घण्टों की कुल संख्या को छह घण्टे तक बढ़ाने की अनुमति देता है;

(तीन) राज्य सरकार को किसी भी दिन या किसी भी सप्ताह में कार्य के घटे विहित करने की अनुमति देता है जिसके ऊपर अतिकाल कार्य के संबंध में कर्मकार को अतिकाल कार्य के सम्बन्ध में साधारण दर से दोगुनी दर पर मजदूरी संदेय हो;

(चार) कार्य के असाधारण दबाव से निपटने के लिए कारखानों को एक तिमाही में बढ़ी हुई समयावधि के लिए कर्मकार को अतिकाल पर अभिनियोजित करने की अनुमति देता है;

(पांच) अतिकाल कार्य पर महिला कर्मकारों के नियोजन को समर्थ बनाने, कार्य करने और उपार्जन के लिए समानता और समान अवसर प्रदान करने, और रात्रि पाली में कार्य करने हेतु ऐसी महिला कर्मकारों को लिखित सहमति प्राप्त करने पर जो रात्रि पाली में कार्य करने की इच्छुक हों, की सुरक्षा और स्वास्थ्य को संरक्षित की शर्तों के अध्यधीन दिन-रात महिलाओं के नियोजन को भी समर्थ बनाता है।

तदनुसार कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पुरास्थापित किया जाता है।

अनिल राजभर

मंत्री,

श्रम।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन—पत्र जिनमें विधायन अधिकारियों के प्रतिनिधान अन्तर्गत हैं।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन—पत्र जिनमें विधायन अधिकारियों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है:—

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
2	इसके द्वारा राज्य सरकार को सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के सम्बन्ध में इस धारा में विनिर्दिष्ट दैनिक कार्य के अधिकतम घंटों को धारा 51 में यथाविनिर्दिष्ट किसी सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घण्टों के अध्यधीन, किसी भी दिन विश्राम के अंतराल सहित बारह घंटे तक ऐसे कार्य हेतु ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अध्यधीन ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे, बढ़ाये जाने की शक्ति दी जा रही है।
3	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के धारा 54 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य समय में परिवर्तनीय उपबंध के कारण, ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे, किसी कर्मचारी के कार्य के घंटों की कुल संख्या को, बिना किसी अंतराल के, छह घंटे तक बढ़ाये जाने की शक्ति दी जा रही है।
4	इसके द्वारा राज्य सरकार को सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में धारा 54 की उप-धारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य के घण्टों में परिवर्तनीय उपबंध के कारण, ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे, विश्राम के लिए उसके अंतराल को सम्मिलित करते हुए 12 घंटे तक बढ़ाये जाने की शक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

अनिल राजभर

मंत्री,

श्रम।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

कारखाना अधिनियम, 1948

धारा—54 धारा—51 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कोई वयस्क कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घण्टों से अधिक के लिए काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परन्तु मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन यह है कि पारियों का बदला जाना सुकर बनाने के लिए इस धारा में विनिर्दिष्ट दैनिक अधिकतम कार्य के घण्टों को बढ़ाया जा सकेगा।

धारा—55 (1) किसी कारखाने में वयस्क कर्मकारों के प्रतिदिन के काम को कालावधियाँ इस प्रकार नियत की जायेंगी कि कोई कालावधि पाँच घण्टों से अधिक की नहीं होगी और कोई कर्मकार कम से कम आधे घण्टे का विश्राम अन्तराल ले चुकने से पूर्व पाँच घण्टे से अधिक काम नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी कारखाने को उपथारा (1) के उपबन्धों से छूट दे सकेगा, किन्तु इस प्रकार कि किसी कर्मकार के अन्तराल के बिना काम के घण्टों की संख्या छह से अधिक न हो।

धारा—56 कारखाने में किसी वयस्क कर्मकार के काम की कालावधियाँ इस प्रकार व्यवस्थित की जाएंगी कि धारा 55 के अधीन उसके विश्राम के लिए अन्तरालों के सहित उनकी किसी दिन साढ़े दस घण्टे से अधिक विस्तृति नहीं होगी:

परन्तु मुख्य निरीक्षक उन कारणों से जो लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे विस्तृति को बढ़ाकर बारह घण्टे तक की कर सकेगा।

XXX

XXX

XXX

धारा—59 जहाँ कोई कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घण्टे से अधिक या किसी सप्ताह अड़तालीस घण्टों से अधिक के लिए काम करता है वहाँ वह अतिकाल काम के लिए अपनी मजदूरी की मामूल दर से दुगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा।

XXX

XXX

XXX

धारा—65 (चार) किसी कर्मकार को लगातार सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घण्टों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 370/XC-S-1-24-20S-2024
Dated Lucknow, August 21, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Karkhana (Uttar Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 2024 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 30, 2024.

THE FACTORIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Factories (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2024. Short title and commencement

(2) It shall be come into force with effect from the date of its publication in the Official *Gazette*.

2. In the Factories Act, 1948 (hereinafter referred to as the "principal Act") in section 54,— Amendment of section 54 of Act no. 63 of 1948

(a) the existing section shall be re-numbered as sub-section (1);

(b) after sub-section (1) so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(2) The State Government may by notification in the official *Gazette*, extend the daily maximum hours of work specified in this section up to twelve hours inclusive of interval for rest in any day subject to a maximum of forty eight hours in any week as specified in section 51, in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient, subject to the written consent of such worker for such work, and the remaining days of the said week for the worker shall be paid holidays."

3. In section 55 of the principal Act, after sub- section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:- Amendment of section 55

"(3) The State Government may by notification in the official *Gazette*, extend the total number of hours of work of a worker without an interval to six hours in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient due to the provision of flexibility in working hours as specified in sub-section (2) of section 54."

4. In section 56 of the principal Act,—

(a) the existing provision shall be re-numbered as sub-section (1);

(b) after sub-section (1) so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(2) The State Government may by notification in the official *Gazette*, increase the spread over up to 12 hours inclusive of his intervals for rest in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient, due to the provision of flexibility in working hours as specified in sub-section (2) of section 54."

Amendment of
section 59

5. In section 59 of the principal Act, for sub-section (1). the following sub-section shall be *substituted*, namely:-
 "(1) Where a worker works in any factory,-
 (a) for more than nine hours in any day or for more than forty eight hours in any week, working for six days in any week;
 (b) for more than ten hours in any day or for more than forty eight hours in any week, working for five days in any week;
 (c) for more than eleven and a half hours in any day working for four days in any week, or works on paid holidays;
 he shall in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages."

Amendment of
section 65

6. In section 65 of the principal Act, in sub-section (3),-
 (a) in clause (iv), for the words "seventy five hours" the words "one hundred and forty four hours" shall be *substituted*;
 (b) after clause (iv), the following clause shall be *inserted*, namely:-
 "(v) a worker shall be required to work overtime subject to the written consent of such worker for such work."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act,1948 (Act no. 63 of 1948) has been enacted with a view of regulate the working condition, safety, security and welfare of workers employed in factories.

To achieve the state's economy of 01 trillion dollars, to promote industrial investment and industries, to give impetus to industrial development in the State and to create more economic activities and employment opportunities it has been decided to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh to,-

(i) allow the State Government to increase the number of hours of work from the existing nine hours up to twelve hours inclusive of rest intervals in any day subject to maximum of 48 hours in any week;

(ii) allow the State Government to extend the total number of hours of work by a worker without an interval to six hours to any group or class or description of factories to facilitate the increase in the daily maximum hours of work due to provisions of flexibility in working hours;

(iii) allow the State Government to prescribe the hours of work in any day or in any week above which wages at the rate of twice the rate of ordinary in respect of overtime work is payable to worker in respect of overtime work;

(iv) allow the factories to engage workers on overtime for an increased period of time in a quarter to deal with exceptional press of work;

(v) enable the employment of woman workers on overtime work, providing for equality and equal opportunity to work and earn and also to enable employment of woman round the clock subject to the conditions to secure safety and health of the woman workers working in night shifts, upon obtaining written consent from the woman workers who are interested to work in night shifts;

The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

ANIL RAJBHAR

*Mantri,
Shram.*

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.